न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
10/24	01.03.2024	24.06.2025

बउनवान

1. बस्तीराम पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

2. घासीराम
3. बिजेसिंह पुत्रान रामसिंह जातियान अहीर निवासीयान पलावा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. बाला देवी पुत्री रामसिंह
5. बसंती पत्नी रामसिंह
6. विपीन पुत्र औमप्रकाश
7. मोनू पुत्र औमप्रकाश
8. मंधू पुत्री औमप्रकाश
9. सुनिता पत्नी औमप्रकाश जातियान अहीर निवासीयान पलावा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. अजय पुत्र कैलाश
11. ईशा पुत्री कैलाश निवासीयान खरखडी तह0 फरूकनगर जिला गुरूग्राम हरि0।

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 397 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम लामचपुर तह0 मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस प्रार्थना पत्र मं विवादित कहलावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि उक्त आराजी ख0 न0 397 रकबा 0.26 है० के गत ख0 न0 356 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा से पैमूद हुये है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2070 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

3. यह है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं तर0 अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा मिन प्रार्थी एवं तर० अप्रार्थीगण आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रिकोर्ड में गिन प्रार्थी एवं तर0 अप्रार्थीगण स0 2 ल0 4 व एवं तर0 अप्रार्थीगण स0 5 का पति व अप्रार्थी स0 6 ल0 9 का दादा व तर० प्रतिवादी स0 10 व 11 का नाना का नाम चला आ रहा है। खानदान का सजरा निम्न प्रकार है।

रामसिंह पुत्र हेतराम (फोत)

बस्तीराम पुत्र	घीसाराम पुत्र	बिजेसिंह पुत्र	कैलाश पुत्र	औमकार पुत्र	बाला पुत्री	बसन्ती पत्नी

कैलाश: विपिन पुत्र, मोनू पुत्र, मंध पुत्री, सुनिता पत्नि

औमकार: अजय पुत्र, ईशा पुत्री

4. यह है कि उक्त विवादित ख० नम्बरान में मिन प्रार्थी व तर० अप्रार्थीगण के पिता/दादा/नाना का नाम राजस्व रिर्कोड सम्वत 2051 में रामसिंह पुत्र हेतराम जाति अहीर निवासी पलावा तह० मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा दर्ज था जो सही था लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2055 के बाद मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण के पिता/दादा/नाना का नाम रामसिंह पुत्र त्रिरखों जाति अहीर निवासी पलावा तह0 मुण्डावर दर्ज कर दिया है, जबकी प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण के पिता के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण के दादा का नाम हेतराम है, प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉड में अलग दर्ज होने व दस्तावेजात में अलग नाम होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा कानूनी अडचन पैदा होती है तथा प्रार्थीगण को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है, इसलिए उक्त विवादित आराजीयत में मिन प्रार्थीगण के पिता नाम रामसिंह पुत्र हेतराम राजस्व रिकोर्ड शुद्ध किया जावे। राजस्व रिर्कोड व अन्य दस्तावेजात की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

5. यह है कि प्रार्थीगण को उक्त राजस्व रिकॉड में गलत इन्द्राज की जानकारी नही थी, लेकिन अब दिनांक 25/1/2024 को मिन प्रार्थीगण को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर मिन प्रार्थी, अप्रार्थी से सर्म्पक

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

किया तथा राजस्व दुरुस्त करने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने सक्षम अदालात श्रीमान से आदेश कराने बाबत कहा, जिस पर अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

6. यह है कि खातेदार सिंह के वारिश जिसमें औमप्रकाश व कैलाश फोत हो गये है। इसलिए उनके ओमप्रकाश के वारिसान तर० अप्रार्थी स0 6 ज0 9 की में मशकार बनाये गये है व कैलाश के वारिसान तर अप्रार्थी 10 व 11 की जद में पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी हाल ख0न0 397 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम लामचपुर तह मुण्डावर में मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण के पिता/दादा/नाना रामसिंह पुत्र हेतराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिर्कोड शुद्ध किया जाने के आदेश फरमाया जाने की कृपा करे। तथा मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण के पिता/दादा/नाना रामसिंह पुत्र तिरखों को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :—

1. प्रार्थी द्वारा ग्राम लामचपुर में हाल खसरा नंबर 397 रकबा 0.26 है० में खातेदार रामसिंह पुत्र तिरखा जाति अहीर के स्थान पर रामसिंह पुत्र हेतराम जाति अहीर दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
2. संलग्न रिकॉर्ड अनुसार ग्राम लामचपुर हाल खसरा नंबर 397 में रामसिंह पुत्र तिरखा जाति अहीर दर्ज रिकॉर्ड है। हाल खसरा नंबर 397 के साबिक खसरा नंबर 356 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा है जमाबन्दी संवत 2055 में भी रामसिंह पुत्र तिरखा जाति अहीर दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2051 में सही नाम रामसिंह पुत्र हेतराम जाति अहीर दर्ज रिकॉर्ड है। अतः श्रीमान जी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र तिरखा जाति अहीर के स्थान पर रामसिंह पुत्र हेतराम जाति अहीर करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2055 पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में सम्वत 2055 में प्रार्थी के पिता/दादा/नाना का नाम रामसिंह पुत्र तिरखा ना होकर रामसिंह पुत्र हेतराम दर्ज था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना जॉच

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

करे ही रामसिंह पुत्र हेतराम के स्थान पर रामसिंह पुत्र तिरखा दर्ज कर दिया गया। जो गलत है। जबकी उक्त नाम को दुरूस्त करने बाबत तहसीलदार मुण्डावर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में भी अभिशाषा की है। इसलिए राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता/दादा/नाना का नाम रामसिंह पुत्र तिरखा के स्थान पर रामसिंह पुत्र हेतराम दर्ज किये जाने का श्रम करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवाज में प्रार्थी के पिता/दादा/नाना का नाम रामसिंह पुत्र तिरखा ना होकर रामसिंह पुत्र हेतराम दर्ज है। जिससे दुरूस्त करने बाबत तहसीलदार मुण्डावर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में भी अभिषाशा की है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख0न0 397 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम लामचपुर तह0 मुण्डावर में अंकित रामसिंह पुत्र तिरखा को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर रामसिंह पुत्र हेतराम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बुनाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner